सार्वजनिक स्थानों पर लगे प्रचार सामग्री को निगम की टीम कर रहे जप्त

भिलाईनगर। भिलाई निगम की टीम वैशालीनगर एवं भिलाईनगर विधानसभा क्षेत्र से अब तक 11 हजार से अधिक राजनैतिक प्रचार सामाग्री को सम्पत्ति विरूपण के अधीन कार्रवाही कर हटाया है। भिलाई निगम क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का पालन कराने निगम प्रशासन जुटा हुआ है और क्षेत्र में घूम घूम कर निगम का अमला राजनैतिक पार्टियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर किए गए वाॅल राईटिंग को मिटाने के साथ ही प्रचार के लिए लगाए गए होर्डिंग्स , फ्लेक्स को निकालकर जप्त कर रहे है। शासकीय भवन , बिजली खंभे, पेड़ पौधों में लगे राजनीतिक विज्ञापनों को संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत हटाया जा रहा है। भिलाईनगर विधानसभा के रिटर्निंग आफिसर एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर अधिकारी कर्मचारियों की टीम बनाई गई है जो अलग अलग पाली में शहर का भ्रमण करते हुए नियमों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए सार्वजनिक स्थान से 7 हजार झंडे बैनर तथा निजी संपत्ति से 5 हजार से अधिक प्रचार सामग्री जप्त कर चुके है।

निगम के सभी जोन आयुक्त , जोन सहायक राजस्व अधिकारी , जोन स्वास्थ्य अधिकारी की टीम प्रतिदिन सुबह माॅर्निंग विजिट कर रहे है। जोन की टीम सुबह से जोन क्षेत्र का भ्रमण कर मतदान केन्द्र, बेनर, पोस्टर, दीवार लेखन, एल.ई.डी. स्क्रीन, झण्डे की जाॅच कर रहे है और बिना अनुमति के लगे राजनैतिक प्रचार सामग्री को जप्ती बना रहे है। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत पर तत्काल कार्यवाही के लिए पृथक से कंट्रोल रूम बनाया गया है सूचना प्राप्त होने पर टीम मौके पर पहुंचकर कार्यवाही कर रहे है। निगम के निगरानी दल शहर मे होने वाले आयोजनों तथा टेंट पंडाल पर भी नजर रखे हुए है अनुमति पत्र नहीं दिखाए जाने पर तत्काल प्रभाव से हटाया भी जा रहा है। आचार संहिता लगने के बाद से अब तक निगम क्षेत्र के भिलाईनगर व वैशालीनगर विधानसभा से निजी व सार्वजनिक जगहों से 4677 स्थान से वाल राईटिंग, 6108 नग पोस्टर, 364 बैनर, 476 अन्य प्रचार सामग्री को निगम की हटा चुकी है।